



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48970

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8743 वर्ष 2026

गुलाब रानी और 24 अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अवधेश कुमार यादव, विमल चंद्र मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता, राजेश खरे

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचीगण ने वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा जारी आक्षेपित कारण बताओ नोटिस/वसूली मांग-पत्र दिनांक 02.09.2025 तथा वाद संख्या 6187 वर्ष 2022 (रिपोर्ट लेखपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 21.04.2025 को अभिखंडित करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है।
2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचीगण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 (2) के अंतर्गत कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं, सभी दिनांक 21.04.2025। पूर्वोक्त आदेश द्वारा, राजस्व अभिलेख से याचीगण के नाम विलोपित कर दिए गए थे और उसे रास्ता खाते के नाम में दर्ज करने का निदेश दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि पूर्वोक्त आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था, याचीगण द्वारा एक प्रत्याह्वान प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया था। आदेश दिनांक 21.04.2025 के अनुसरण में, प्रत्यर्थी संख्या 4-तहसीलदार, तहसील कर्वी, जिला चित्रकूट द्वारा याचीगण को नोटिस दिनांक 02.09.2025 जारी किया गया था। पूर्वोक्त नोटिस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में यह अभिकथित है कि याचीगण को प्रत्यर्थी संख्या 4 के कार्यालय में उपस्थित होने और नुकसानी की राशि जमा करने का निदेश दिया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि पूर्वोक्त नोटिस का उत्तर याचीगण द्वारा पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है किंतु आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और दूसरी ओर प्रत्याह्वान प्रार्थना पत्र के बावजूद, प्राधिकारी पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में प्रश्नगत भूमि पर याचीगण द्वारा किए गए निर्माणों को ध्वस्त करने पर अड़े हुए हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि नोटिस दिनांक 02.09.2025 के अनुसरण में याचीगण द्वारा प्रस्तुत आपति के निस्तारण तक, याचीगण के विरुद्ध कोई उत्पीड़क कार्रवाई न की जाए।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार यादव, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश खरे को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को याचीगण को आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत आपति की एक नवीन प्रति के साथ इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का निदेश देते हुए निस्तारित किया जाता है। यदि याचीगण द्वारा ऐसा किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 4-तहसीलदार, तहसील कर्वी, जिला चित्रकूट को यह निदेश दिया जाता है कि वे याचीगण द्वारा प्रस्तुत आपति का अत्यंत शीघ्रता से, अधिमानतः आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निस्तारण करें।
5. अगले छह सप्ताह की अवधि तक या नया आदेश पारित होने के समय तक, याचीगण के विरुद्ध कोई उत्पीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी।
6. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. शुक्ला से आवश्यक अनुपालन हेतु इस आदेश के संबंध में जिलाधिकारी, चित्रकूट को संसूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 10, 2026

टी.एस.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।